A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

अपील संख्या: 59/2020

हनुमान प्रसाद स्वामी, निवासी काजडा, उचित मूल्य दुकानदार, काजडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज)

– अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनू।

– रेस्पोडेंट

— — —

अपील अतंर्गत धारा 22 (क) राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 30.12.2019 द्वारा अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हनुमान प्रसाद स्वामी उचित मूल्य दुकानदार काजडा प्रकरण सं. 173/2019 मे प्राधिकार पत्र निरस्त करने बाबत।

— — —

उपस्थित : –

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय पैरोकार – रेस्पोडेंट की ओर से ।

आदेश

दिनांकः– 26.10.2020

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 30.12.2019 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की है। प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अदालत मातहत का आदेश विधि विरुद्ध है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से विश्लेषण नही किया। अदालत मातहत ने बिना कोई जांच किये एकतरफा निर्णय आदेश पारित किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिसके विरुद्ध अदालत मातहत के द्वारा निर्णय किया जा रहा है जिसकी जबाब देही, साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर देकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण मे अदालत मातहत के द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत के द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 14.10.2019 को नोटिस देकर गेहू वितरण मे अनियमितता का जो आरोप लगाया गया है जो सरासर गलत है। राशन कार्ड संख्या 007121400294 को 25 किलो गेहू दिया गया है और उतना ही गेहूं ऑनलाईन निकाला गया है। ऑनलाईन प्रकिया मे किसी भी प्रकार का कोई भी गबन चाहकर भी नही हो सकता है। ऑनलाईन की प्रकिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अपीलान्ट सन् 1988 से उचित मूल्य की दुकान का डीलर है तब से लेकर आज तक प्रार्थी के

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A-4/2

विरूद्व किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। निहित स्वार्थी एवं द्वेष रखने वाले कुछ लोग पार्टीबाजी के आधार पर प्रार्थी के खिलाफ बेबुनियाद एवं झूठी शिकायत करते है जिसमे किसी प्रकार की जांच करने की कोई अनियमितता नही पाई गई थी उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। अपीलान्ट का पुत्र राजेश कुमार अपीलान्ट से अलग रहता है और उसका अलग परिवार है। राजेश कुमार का ए0पी0एल0 राशन कार्ड नियमानुसार बनाया गया है जो संबंधित अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच करने के बाद ही बनाया गया है उक्त आरोप मिथ्या आरोप है। अदालत मातहत के द्वारा गठित टीम द्वारा अपीलान्ट की दुकान पर दिनांक 17.11.2019 को जाकर कोई जांच नही की गई है। अपीलान्ट से ईर्ष्या रखने वाले लोगो से मिलकर झूठी रिपोर्ट पेश की गई है जो निराधार एवं गलत है। ग्राम काजडा के उपभोक्ताओं ने अदालत मातहत को दिनांक 28.11.2019 को स्वयं हाजिर होकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमे उन्होने बताया है कि अपीलान्ट की जो शिकायत की है वो द्वेषतापूर्ण व राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने की है वो शिकायत झूठी है और हम उपभोक्ताओं को उक्त राशन डीलर से किसी प्रकार की कोई शिकायत नही है। इनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है जो पिछले 31 वर्षो से हमे राशन का वितरण कर रहा है। उक्त डीलर सूबह 8 बजे से शाम तक हमे अच्छी सेवा दे रहा है इसकी जो शिकायत की गई है वो गलत है। अतः अपील अपीलान्ट की ओर से अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.12.2019 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से विश्लेषण नही किया। अदालत मातहत ने बिना कोई जांच किये एकतरफा निर्णय आदेश पारित किया है। प्रकरण मे अदालत मातहत के द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत के द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 14.10.2019 को नोटिस देकर गेहूं वितरण मे अनियमितता का जो आरोप लगाया गया है जो सरासर गलत है। राशन कार्ड संख्या [illegible]400294 को 25 किलो गेहूं दिया गया है और उतना ही गेहूं ऑनलाईन निकाला गया है। ऑनलाईन प्रकिया मे किसी भी प्रकार का कोई भी गबन चाहकर भी नही हो सकता है। ऑनलाईन की प्रकिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अपीलान्ट सन् 1988 से उचित मूल्य की दुकान का डीलर है तब से लेकर आज तक प्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अपीलान्ट का पुत्र राजेश कुमार अपीलान्ट से अलग रहता है और उसका अलग परिवार है। राजेश कुमार का ए0पी0एल0 राशन कार्ड नियमानुसार बनाया गया है। अदालत मातहत के द्वारा गठित टीम द्वारा अपीलान्ट की दुकान पर दिनांक 17.11.2019 को जाकर कोई जांच नही की गई है। अपीलान्ट से ईर्ष्या रखने वाले लोगो से मिलकर झूठी रिपोर्ट पेश की गई है। ग्राम काजडा के उपभोक्ताओं ने अदालत मातहत को दिनांक 28.11.2019 को स्वयं हाजिर होकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमे उन्होने बताया है कि अपीलान्ट की जो शिकायत की है वो द्वेषतापूर्ण व राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने की है वो शिकायत झूठी है और हम उपभोक्ताओं को उक्त राशन डीलर से किसी प्रकार की कोई

झुन्झुनू

आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.12.2019 को निरस्त किया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट श्री हनुमान प्रसाद विभाग से एक लाख रूपये का मासिक कमीशन ले रहा है बावजूद इसके अपीलान्ट ने अपने पुत्र का नाम एन0एफ0एस0ए0 मे आवश्यकता नही रखते हुए गलत रूप से जुडवाया है। दो राशन कार्डो मे टीम ने जांच मे पाया है कि ऑनलाईन तो उपभोक्ताओं को गेहूं 25 किलोग्राम दर्ज किया गया है जबकि राशन कार्ड में 20–20 किलोग्राम की प्रविष्टि की गई है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज करनाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.11.2019 के अनुसार अपीलान्ट 4.55 क्विंटल गेहूं के गबन का दोषी है। अपीलान्ट के खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायतें भी उपभोक्ताओं द्वारा की गई है। पुराने अनुभवी डीलर से ऐसे कृत्य की उम्मीद नही की जा सकती है। अपीलान्ट का उक्त कृत्य इरादतन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। साथ ही अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा गबन किये गये 4.55 क्विंटल गेहूं की राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुन्झुनू